



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245648
CG-DL-E-04052023-245648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1947]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1947]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2035(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 511 (अ) तारीख 02.02.2023 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 02.02.2023 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-146B के कि.मी. 0+000 से 47+400 कि.मी. तक (नसरुल्लागंज-रेहटी से बुधनी-रोड) (तहसील-बुधनी) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (4-लेन का बनाने/चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "राज एक्सप्रेस" में गुरुवार 16 फरवरी 2023 और "फ्री प्रेस" में गुरुवार 16 फरवरी 2023 को प्रकाशित किया गया था

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-146B के कि.मी. 0+000 से 47+400 कि.मी. तक (नसरुल्लागंज-रेहटी से बुधनी-रोड) (तहसील-बुधनी) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: सीहोर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बुदनी				
	गांव का नाम: पांडाडो				
1	2/10/1	निजी	सिंचित	0.165	मनफुल पिता छुटुआ जाति ओझा पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (२/१०/१)
2	2/10/2	निजी	सिंचित	0.119	राजकुमार पिता मनफुल जाति ओझा पता पंडाडो, बुधनी, सीहोर, मध्य प्रदेश भू स्वामी (२/१०/२)
3	2/12	निजी	सिंचित	0.267	सुमरतीबाई बेवा अंतराम, राजेश पुत्र अंतराम, सरोज, सुशीला पुत्री अंतराम, जाति ओझा पता बुधनी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (२/१२)
4	2/13	निजी	सिंचित	0.19	इंदरबाई पुत्री मुड्डी जाति ओझा पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (२/१३)
5	2/14	सरकारी	सेवा भूमि	0.655	मध्य प्रदेश शासन (सेवा भूमि) (२/१४)

6	2/20	निजी	सिंचित	0.249	प्रेमनारायण पिता किशोरीलाल जाति कीर पता सीहोर, मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (२/२०)
7	2/21	निजी	सिंचित	0.251	काशीराम पिता छुटुआ जाति ओझा पता सीहोर, मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (२/२१)
8	2/8	निजी	सिंचित	0.273	गुलाबसिंह, अमरसिंह, ऊधमसिंह पिता कुड्डी, आसियाबाई बेवा कुड्डी जाति ओझा पता सीहोर, मध्य प्रदेश भू-स्वामी (२/८)
9	3/14	निजी	सिंचित	0.047	कुलदीप पिता श्रीराम जाति तेली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (३/१४)
			कुल	2.216	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/34/2018-19/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2035(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number **S.O. 511(E)**, dated **02.02.2023** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/4-Laning with paved shoulder), Maintenance, management and operation of National Highway No. **NH-146B** in the stretch of land from Km. **0+000 to 47+400 K.m. (Nasrullaganj-Rehti to Budhni-Road) (Tehsil-Budhni)** in the district of **Sehore** in the state of **MADHYA PRADESH**.

And whereas the substance of the said notification has been published in **“Raj Express” 16 February 2023 Thursday**; And **“Free Press” 16 February 2023 Thursday**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. **0+000** to **47+400** km. (**Nasrullaganj-Rehti to Budhni-Road**) (**Tehsil-Budhni**) Of the National Highway No. **NH-146B** in the district of **Sehore** in the state of **MADHYA PRADESH**.

State: MADHYA PRADESH			District: SEHORE		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Budhni				
	Village: Pandado				
1	2/10/1	Private	Irrigated	0.165	Manful Father Chhutuaa caste Ojha Address Sehore Madhya Pradesh Land Owner 2/10/1
2	2/10/2	Private	Irrigated	0.119	Rajkumar Father Manful caste Ojha Address Pandado, Budhni, Sehore, Madhya Pradesh Land Owner 2/10/2
3	2/12	Private	Irrigated	0.267	Sumaratibai Beva Antram, Rajesh S/O Antram, Saroj, Sushila Daughter Antram, caste Ojha Address Budhni Sehore Madhya Pradesh Land Owner 2/12
4	2/13	Private	Irrigated	0.19	Indarbai Daughter Muddi caste Ojha Address Sehore Madhya Pradesh Land Owner 2/13
5	2/14	Government	Sewa Bhoomi	0.655	Government of Madhya Pradesh (Sewa Bhoomi) 2/14
6	2/20	Private	Irrigated	0.249	Premnarayan Father Kishorilal caste Keer Address Sehore, Madhya Pradesh Land Owner 2/20
7	2/21	Private	Irrigated	0.251	Kashiram Father Chhutuaa caste Ojha Address Sehore, Madhya Pradesh Land Owner 2/21
8	2/8	Private	Irrigated	0.273	Gulabsingh, Amarsingh, Udham Singh Father Kuddi, Asiyabai Beva Kuddi caste Ojha Address Sehore, Madhya Pradesh Land Owner 2/8
9	3/14	Private	Irrigated	0.047	Kuldeep Father Shriram caste Teli Address Sehore Madhya Pradesh Land Owner 3/14
			TOTAL	2.216	

[F. No. CE-RO BPL/30010/34/2018-19/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.